

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।**

**पत्रांक :- 2147/ओबरा/15 भू0ह0**

**दिनांक- 15-01-2019.**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर ।

**विषय:-** में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 3402(1)/14-2-2018, दिनांक-14.02.2018, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1188/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक-14.12.2016, पत्रांक-1263/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक-26.12.2018 तथा पत्रांक-1308/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक-03.01.2019, इस कार्यालय के पत्रांक-1903/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-22.12.2018 तथा आपका पत्रांक-2593/मी0/33 दिनांक-03.01.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-3402(1)/14-2-2018, दिनांक-14.02.2018 द्वारा वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-1903/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-22.12.2018 द्वारा आपको प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-2496/मी0क्षे0/33 दिनांक-29.12.2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1308/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक-03.01.2019 द्वारा उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 3402(1)/14-2-2018, दिनांक-14.02.2018 द्वारा वांछित बिन्दुओं पर सुस्पष्ट विस्तृत टिप्पणी संस्तुति सहित मांगी गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 3402(1)/14-2-2018, दिनांक-14.02.2018 द्वारा वांछित बिन्दुओं पर आख्या निम्नानुसार है:-

**बिन्दु संख्या 1:- प्रस्ताव की आवश्यकता/अपरिहार्यता:-**

अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र (जो पूर्व में मिर्जापुर जिले का भाग था) के ओबरा वन प्रभाग के ग्राम-कोटा (डाला) में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1954 में सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक-08.12.99 को Wound Up कर लिक्विडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आफिसियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया तथा फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिक्विडेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई। उ0प्र0रा0सीमेन्ट कारपोरेशन के परिसमापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों के क्रेता को दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0 3623/77 -1-

-पेज 2 पर-

*A*

2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक-10.10.2006 को मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तर 9, जो कम्पनी के पक्ष में लाइमस्टोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, उसमें वन क्षेत्र में पडने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न तथ्य अंकित किये गये थे :-

“यह उल्लेखनीय है कि यदि भूमि वन में अवस्थित है, उसके क्रेता को नवीनीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर सक्षम स्तरों से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर वांछित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि सेंचुरी में अवस्थित है, उसके गैरवानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो हिस्से वन भूमि में पडते हैं कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति से तथा वांछित शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही सम्भव है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भी समाचीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण में भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं तत्पश्चात् कुछ प्रकरणों में वनविभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0राज्य सीमेन्ट निगम लि0 (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विक्रय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतों में आच्छादित भूमि में से जो भूमि वन में अवस्थित है उनके क्रेता फर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में देय राशि के भुगतान के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।”

उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक-11-10-06/ 12-10-06 को जे0पी0एसोसिएट्स के पक्ष में विक्रय की पुष्टि कर दिया। में जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये उपरोक्त दिशा निर्देश के विपरीत लीज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया। जिसके क्रम में एफ0एस0ओ0 व डी0जे0 द्वारा कुल 1083.203हे0 क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 4 से पृथक कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया गया।

तत्पश्चात् में जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 को स्वीकार करते हुए, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष प्रश्नगत क्षेत्र को लीज पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके क्रम में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 471/2016 में दिनांक-30.05.2016 को निम्न निर्णय पारित किया गया:-

In addition the Applicant has also prayed that a direction be issued that all recommendations of the State Government and all approvals of the Central Government under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of all the mining leases by the State Government be carried out in a time bound manner and not later than 3 months from the date of filing of the application by the applicant complete in all respect.

We find that as this matter has been pending from 2006 onwards, there should be a direction for disposal of the recommendations under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of mining lease, if any, be carried out within a period of 6 months from the date of filing of the Application.

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक-30.05.2016 कम में मे० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रेषित किया गया, जिसे उचित माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के उ०प्र० शासन का पत्र संख्या-3402(1)/14-2-2018, दिनांक-14.02.2018 द्वारा वांछित 02 बिन्दुओं की मांगी गयी है। उक्त 02 बिन्दु की सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय द्वारा जे०पी०एसोसिएट्स लि० से मांगे जाने पर, उनके पत्र संख्या-जे०ए०एल०/2016-12 दिनांक-19.12.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रश्नगत 115.874हे० क्षेत्र पर कशर, रोप-वे एवं जे०पी० सुपर प्लान्ट निर्मित है, इसके आवासीय परिसर में आवास, स्कूल एवं अन्य निर्माण है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	विवरण	कुल संख्या
<b>A</b>	<b>Plot 933 d</b>	
1.	Res. Qtrs	399
2.	El. Substation	2
3.	Play Ground	2
4.	Inter Collage	1
5.	ITI Collage	1
6.	Bitumen Road	
<b>B</b>	<b>Plot 2576 d</b>	
1.	Res. Qtrs	16
2.	CBSC School	1
3.	Bitumen Road	
<b>C</b>	<b>Plot 3200,3199,3202&amp;3198</b>	
1.	Super Cement Plant, Road, pipe Conveyor Structure, Ropeway	

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि The National Company Law Tribunal Bench Allahabad के पारित आदेश दिनांक-02.03.2017 के अन्तर्गत जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० के सीमेन्ट कारखानों को अल्ट्राटेक को हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके अनुसार वन भूमि से सम्बन्धित हस्तान्तरण प्रस्ताव पर मे० जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा अनुमति प्राप्त की जानी है। अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमानुसार वन भूमि की अनुमति को अल्ट्राटेक सीमेन्ट को हस्तान्तरित किया जायेगा।"

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-1, द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं०-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक-10.10.2006 तथा मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के निर्णय दिनांक-30.05.2016 में वन भूमि का हस्तान्तरण/लीज सम्बन्धी कार्यवाही कर भूमि का उपयोग मे० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को किये जाने का निर्देश है, परन्तु मे०

-पेज 4 पर-

१

जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा स्वयं अपने पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमानुसार वन भूमि की अनुमति को अल्ट्राटेक सीमेन्ट को हस्तान्तरित किया जायेगा।

इस प्रकार हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा स्वयं नहीं किया जायेगा, बल्कि भूमि हस्तान्तरण के कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को हस्तान्तरित किया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि में जे०पी०एसोसिएट्स लि० को प्रस्ताव की आवश्यकता/अपरिहार्यता अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को हस्तान्तरित करने के लिए है, न कि स्वयं उपयोग करने के लिए है।  
बिन्दु संख्या 2:- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक-01.08.2018:- इस बिन्दु पर आख्या प्रभाग स्तर से वांछित नहीं है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय  
मूल चन्द  
15/11/19

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।